न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 125 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. रतनसिंह पुत्र वचनाजी 2. शंकरसिंह पुत्र केसाजी 3. भंवरसिंह पुत्र केसाजी 4. दामोदरसिंह पुत्र केसाजी 5. बाबूसिंह पुत्र केसाजी जाति पुरोहित निवासी खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ, आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	1. मंगला पुत्र फुआ फौत का.मु. 1/1सीतादेवी बेवा मंगलाराम 1/2मांगीलाल पुत्र मंगलाराम 1/3पुखराज पुत्र मंगलाराम 1/4गौतम पुत्र मंगला 1/5चंदनसिंह पुत्र मंगला जाति पुरोहित निवासी खेतेश्वर ब्रहधाम तीर्थ, आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 2. छोगा पुत्र फुआ जाति पुरोहित 3. करना पुत्र प्रतापजी फौत के कायम मुकाम 3/1पार्वतीदेवी बेवा करनाजी 3/2जबरसिंह पुत्र करनाजी जाति पुरोहित निवासी खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ, आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3/3हविया पुत्री करनाजी पत्नी लालसिंह जाति पुरोहित निवासी गुडानाल तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 3/4शायरो पुत्री करनाजी पत्नी वगतावरसिंह जाति पुरोहित निवासी असाडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3/5चंदा पुत्री करनाजी पत्नी हनुमानसिंह जाति पुरोहित निवासी जागसा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. गौगती पुत्री सवजी बेवा केसाजी (फौत डिलेट) 5. वगताजी पुत्र सवजी 6. कोनसिंह पुत्र सवजी 7. अर्जुनसिंह पुत्र सवजी 8. बादली बेवा सवजी (फौत डिलेट) जातियान पुरोहित निवासीयान खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ, आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 9. श्रीमान राजस्थान सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	जरिये तहसीलदार पचपदरा 10. भोपालसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 103/2009 बअनवान रतनसिंह वगैरा बनाम मंगला के वारिशान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मनोज पारीक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एक ही कुटुम्ब परिवार के है, मुतवफी प्रतापजी के चार पुत्र केसाजी, सवजी, वचनाजी व करना है जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 03 से 08 है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 के मुतवफी प्रतापजी की खुदकाश्त भूमि ग्राम श्री खेतेश्वर ब्रहमधाम तीर्थ की खेत खसरा संख्या 393 रकबा 6.17 बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 05 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिस पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से प्रतापजी का कब्जा काश्त था और वक्त सेटलगेंट के समय विवादित भूमि प्रतापजी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम भूमि इन्द्राज करवा दी जबकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः उक्त प्रविष्टि को हटाते हुये वादी संख्या 03 से 06 के नाम घोषित करवाने व खेत खसरा संख्या 396 रकबा 05 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की प्रविष्टि को हटाते हुये 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 02 के नाम, 1/4 हिस्सा वादी संख्या 01 व 06 के एवं प्रतिवादी संख्या 04 के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 से 08 के नाम घोषित करवाने व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया या एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई उसमें वर्णित किया है कि तनकी संख्या 01 से 03 वादीगण साबित नहीं किये जाने के कारण वादीगण का वाद खारिज योग्य है। इसे विवेचित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की है क्योंकि अपीलांटगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह PW-1 से PW-3 तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–17 पेश किये गये, जिससे वादीगण का वाद भलीभांति प्रमाणित है तथा तनकी संख्या 01 से 03 साबित करने में पूर्णतया सफल भी रहे है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 03 से 08 के पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा एवं रहवासी मकान बने हुऐ थे तथा सेटलमेंट से आज दिन तक निर्बाध कब्जा चला आ रहा है जो कि न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों PW-1 से PW-3 भलीभांति प्रमाणित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गवाहों के बयानों व दस्तावेजों का अच्छी तरह से अवलोकन किये बिना ही अपनी मनमर्जी से निर्णय पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की साक्ष्य से वादीगण की साक्ष्य पूर्णतया वाद को पुष्ट करती है तथा वादीगण के हको को भी पूर्णतया साबित है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के कथनों व साक्ष्य पर विश्वास नहीं कर मात्र उतरदातागण के कथनों पर विश्वास किया तथा बिना विवेचन के ही मात्र कयासी तथ्यों पर अपीलांटगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अपीलाधीन आराजी परवादीगण कब्जा काश्त भलीभांति सावित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के जिम्मे तनकी संख्या 04 से 09 रखी गई थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने जिम्मे रखी तनकीयात को साबित करने में किसी प्रकार गवाह व दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। वाद के विचारण व स्थगन आदेश के प्रभाव में रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 10 भोपालसिंह को कर दिया था तथा भोपालसिंह ने मात्र साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है तथा किसी स्वतंत्र गवाह व सेढा पडौसी के बयान नहीं करवाये गये है। उभयपक्षकारान के मथ्य गांव के मौझिज लौगों ने समझौता करवातेह हुए विवादित खसरा संख्या 393 में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने 217/274 हिस्सा की रजिस्ट्री स्व. केसाजी की पत्नी गोमती के हक में करवा दी, लेकिन शेष हिस्सा 57/274 की रजिस्ट्री करवाने में टालमटोल कर रहे है। उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण के पक्ष में एक ईकरारनामा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर दिनांक 01.02.2006 का लिखकर दिया था जिसमें ईकरारनामे में यह बात स्वीकार की है कि खसरा संख्या 393 केसाजी को बंट मे देना बताया गया है तथा इसका खातेदारी पर्चा लगान पक्षकार नम्बर 1(छोगाजी व मंगलाजी) के नाम गलत जारी हुआ है, इसमें आपका(अपीलांट) की ढाणी, टांके वगैरा बने हुऐ है व आपकी बाड बनी हुई है व ढाणी में आपका निवास है इसमें हमारा (उत्तरदाता संख्या 01) का कोई हक नहीं है। जिससे भी वादीगण/अपीलांटस का वाद प्रमाणित है। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श–13 जो ब्रहमधाम आसोतरा के महंत खेतारामजी के सामक्ष दिनांक 20.11.1974 को एक लिखित दस्तावेज निष्पादित कर रेसपोडेंट संख्या 01 व 02 ने अपने अंगुष्ठ निशान करते हुए अपीलाधीन आराजी को अपीलांटगण को देना स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकारों के विरूद्ध पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादीगण का वाद गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया गया, क्योंकि वादग्रस्त भूमि जागीरी गांव नहीं था, जो खालसा गांव था, जिसका 02 बार सेटलमेंट हो रखा है और प्रथम सेटलमेंट व द्वितीय सेटलमेंट से भी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की खातेदारी इन्द्राज हुई है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है क्योंकि सेटलमेंट विभाग ने वक्त सेटलमेंट के समय मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही रेकर्ड संधारण दिया था, वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त होने के कारण वक्त सेटलमेंट भूमि उनके नाम इन्द्राज हुई और विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार कोई समझौता नहीं हुआ था। श्रीमती गोमतीदेवी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को काबिज खातेदारी मानकर खसरा संख्या 343 रकबा 06.17 बीघा भूमि में से 05.08 बीघा भूमि सप्रतिफल खरीद की और शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने प्रतिवादी संख्या 10 को बेचान की गई, इस प्रकार वादीगण का विवादित भूमि में कोई हक नहीं है। वादीगण/अपीलांट हस्तगत वाद के जरिये एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषित करवाना चाहते है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद चल ही नहीं सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। उतरदातागण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2011(2) Page 721

RRT 2017(2) Page 1102

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत वाद, जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1. आया वादीगण राजस्व अभिलेख ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के खसरा संख्या 835/393 में से प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाकर वादीगण संख्या 03 से 06 के नाम घोषित करवाने के अधिकारी है?

   जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण आराजी खसरा संख्या 396 रकवा 5 विस्वा ग्राम खेतेश्वर तीर्थ धाम के अभिलेख से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम हटाकर वादीगण प्रतिवादी संख्या 05 से 08 के नाम घोषित कराने के अधिकारी है?

   जिम्मे वादीगण
3. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?

   जिम्मे वादीगण
4. आया वादपत्र वादी भू प्रबन्ध ऑपरेशन के पश्चात निर्धारित अवधि में पेश नहीं होने से अन्दर म्याद नहीं है?

   जिम्मे प्रतिवादी
5. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में किये गये बेचानों से भिन्न कोई कथन करने से विबन्धित है?

   जिम्मे प्रतिवादी
   जिम्मे वादी
6. आया तथाकथित बिना तारीख का बंटवाड़ा भूमिधाकर की लिखित सहमति के बिना शून्य है?

   जिम्मे प्रतिवादी
7. आया समुचित वादकरण गठित होने के तथ्यों के अभाव मतें वादपत्र वादीगण अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में रिजेक्ट करने योग्य है?

   जिम्मे प्रतिवादी
8. आया तथाकथित इकरारनामा दिनांक 01.02.2006 साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है और न किसी भी उद्देश्य के लिखा पढा जा सकता है?

   जिम्मे प्रतिवादी
9. आया तथाकथित अपंजीकृत इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित नहीं है?

   जिम्मे प्रतिवादी
10. दादरसी

तनकी संख्या 01 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है अभिलेखीय साक्ष्य में अपीलांटगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह PW-1 से PW-3 तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–17 पेश किये गये। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत पेश कर वादीगण के वाद का खण्डन नहीं किया गया। उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलांटगण के पक्ष में एक ईकरारनामा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर दिनांक 01.02.2006 का लिखकर दिया था जिसमें ईकरारनामे में यह बात स्वीकार की है कि खसरा संख्या 393 केसाजी को बंट मे देना बताया गया है तथा इसका खातेदारी पर्चा लगान पक्षकार नम्बर 1(छोगाजी व मंगलाजी) के नाम गलत जारी हुआ है, इसमें आपका(अपीलांट) की ढाणी, टांके वगैरा बने हुऐ है व आपकी बाड बनी हुई है व ढाणी में आपका निवास है इसमें हमारा (उतरदाता संख्या 01) का कोई हक नहीं है। इस दस्तावेजात पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श–13 जो ब्रहमधाम आसोतरा के महंत खेतारामजी के समक्ष दिनांक 20.11.1974 को एक लिखित दस्तावेज उभयपक्ष की मौजूदगी में निष्पादित हुआ जिसका भी विधि सम्मत विवेचन नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी का दौराने दावा प्रतिवादी द्वारा अजनबी व्यक्ति उतरदाता संख्या 10 भोपालसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह को बेचान किया गया जो वाद में प्रतिवादी द्वारा असफलता के डर को इंगित करता है तथा की गई कार्यवाही संदेह के दायरे में आता है। अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांटगण/वादी का है इस बात को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वयं स्वीकार करते है। अपीलांटगण/वादी ने अपीलाधीन आराजी की खातेदारी एडवर्स पजेशन के आधार पर नहीं चाही गई बल्कि वक्त सेटलमेंट पूर्व से प्रतापजी का कब्जा काश्त था और वक्त सेटलमेंट के समय विवादित भूमि प्रतापजी के नाम दर्ज होने के बजाय प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों ने दर्ज की। इस सेटलमेंट की भूल को सुधारने के लिए हस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलांटगण/वादी द्वारा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का विधि सम्मत अवलोकन किये बिना तनकी संख्या 01 का विवेचन गलत ढंग से किया गया।

तनकी संख्या 02 का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते वक्त यह निष्कर्ष दिया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 396 रकबा 05 बिस्वा पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 03 से 08 का कब्जा काश्त हो, केवल मात्र मौखिक कथन करने से खातेदारी नहीं दी जा सकती है। खातेदारी प्राप्त करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत होना आवश्यक है जो वादीगण साबित नहीं कर पाये है जबकि सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 460/2009 में मौके की मौका रिपोर्ट तलब की गई जो मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 13.06.2009 को उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार की गई जिसमें अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/अपीलांटस का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कब्जा काश्त साबित हुआ है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। हस्तगत तनकी संख्या 02 का निर्णय करते वक्त गातहत अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों का अवलोकन नहीं किया गया जो अनुचित है।

तनकी संख्या 03 तनकी का निर्णय पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित किया कि जब तनकी संख्या 01 व 02 वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है, तो स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातएवं उनके गवाहों के बयानों का निष्कर्ष दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है।

तनकी संख्या 04 से 09 का निर्णय पारित करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि वादीगण के वाद में तीन तनकीयात वादीगण के जिम्मे रखी गई थी जिसे वादीगण/अपीलांटस सिद्ध करने में असफल रहे है और वादीगण की ओर से अपने वादपत्र व बहस में भी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गई, जो प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जबकि प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई तनकीयात को साबित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया। इस तथ्य का निर्धारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण का जबाव एवं उनके गवाहों के बयानों का निष्कर्ष दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं मूल दावे के विचारण हेतु नियत प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकार को संयोजित रखते हुए पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में कुल 9 तनकी कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तनकीयात का निष्कर्ष/निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तथ्यों, गवाहों के बयानों का गहन मनन एवं अध्ययन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने योग्य ठहरता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 103/2009 बअनवान रतनसिंह वगैरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बनाम मंगला के वारिशान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.10.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर तथा अपीलांट/वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में पूर्व में पेश गवाह PW-1 से PW-3 तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–17, ईकरारनामा दिनांक 01.02.2006 का अध्ययन अवलोकन करते हुए तनकीयात का विधिसम्मत निष्कर्ष देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.05.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(शर्मिष्ठा सिंवानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर